

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2014/ V-786/35

दिनांक: 24/7/14

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

**M/s CBS International Projects Pvt. Ltd.,
19A, Sector – 16A, Film City,
Noida.**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2014 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक भवन निर्माण की भूखण्ड सं0 01, Sector – 90, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-गर्भ जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. आबंटी द्वारा आवासीय परिसर के उपयोग/विक्रय हेतु दिये गये शपथ पत्र का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	1,02,949.00 वर्ग मीटर
अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @30%	=	30,884.70 वर्ग मीटर
अनुमन्य एफ0ए0आर0 @ 2.0	=	205898.00 वर्ग मीटर

तल	अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)	स्वीकृत एफ0ए0आर0 (वर्गमी0)
भूतल	30884.70	23306.52
प्रथम तल	30884.70	20701.85
द्वितीय तल	30884.70	8508.96
तृतीय तल	शेष एफ0ए0आर0	8262.87
चतुर्थ तल		6615.30
पंचम तल		5178.29
छटवां तल		4112.86
सातवां तल		सर्विस फ्लोर
आठवां तल		1615.76
नौवां तल		1615.76
दसवां तल		1615.76
ग्यारहवां तल		1615.76
बारवां तल		1615.76
तेरहवां तल		1615.76
चौदहवां तल		1615.76




पन्द्रहवां तल		1615.76
सौलहवा तल		1615.76
सत्रहवां तल		1615.76
अटठारवां तल		1615.76
उन्नीसवां तल		1615.76
बीसवां तल		1615.76
इक्कीसवां तल		1615.76
बाइसवां तल		1255.89
तैइसवां तल		1255.89
कुल एफ०ए०आर०	205898.00	101819.07

122

नॉन एफ०ए०आर०)	स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्गमी०)
बेसमेन्ट - प्रथम	75859.53
बेसमेन्ट - द्वितीय	55753.01
सर्विसेज	7477.82
सर्विस फ्लोर	1837.46
रिफ्यूज एरिया	1070.85
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	243817.74

सैटबेक	अनुमन्य	प्रस्तावित
अग्र	25.00 मीटर	25.00 मीटर
पृष्ठ	9.00 मीटर	9.00 मीटर
दाई साइड	9.00 मीटर	9.00 मीटर
बाई साइड	9.00 मीटर	9.00 मीटर

संलग्नक - भवन के स्वीकृत मानचित्र ।

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.

PL Asslt. Archt. Architect

नाम
पद
वी. लोएडा पुजारी
मुख्य वारंत्तिद निरीज

प्रतिलिपि-

- सहा० महाप्रबन्धक(औद्योगिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।